



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230396
CG-DL-E-14102021-230396

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3892]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 12, 2021/आश्विन 20, 1943

No. 3892]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 12, 2021/ASVINA 20, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4239(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 15 फरवरी, 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 674 (अ), तारीख 12 फरवरी, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, बिहार राज्य के रोहतास जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान में तारीख 19 फरवरी, 2021 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया है तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

बिहार राज्य के रोहतास जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला: रोहतास

क्र. सं.	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं.	खसरा सं.	भूमि का प्रकार	वर्तमान भूमि की प्रकृति	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (हे. में)	भू-स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सासाराम	करवन्दियां	220	279	निजी	अंश आवासीय और अंश कृषि	0.0720	भोला कुमार पिता स्व० इनर साह, विश्वकर्मा साह पिता स्व० लक्ष्मण सा, शंकर साह पिता स्व० लक्ष्मण साह।
2	डिहरी	तेन्दुआदुसाधी	152	671	निजी	अंश आवासीय और अंश कृषि	0.0111	अनील कुमार सिंह वो शिवशंकर सिंह वो रणजीत सिंह पिता स्व० गुप्तेश्वर सिंह।
3	शिवसागर	रसेन्दुआ	14	372	निजी	अंश आवासीय और अंश कृषि	0.0203	पारसनाथ वो शम्भुनाथ चौरसिया वो संतोष चौरसिया वो शिवशंकर चौरसिया पिता स्व० बालेश्वर चौरसिया, रामबचन चौरसिया वो कपिलमुनी चौरसिया वो देवमुनी चौरसिया पिता स्व० मंगरू पनेरी, सुरेश प्रसाद चौरसिया पिता स्व० राम किशुन चौरसिया वो सोनी देवी पति स्व० उमेश प्रसाद चौरसिया वो सोनु कुमार पिता स्व० उमेश प्रसाद चौरसिया निजग्राम।
4	शिवसागर	निमियां	25	31	निजी	कृषि	0.0365	शारदा देवी पति राम सनेही, शीला देवी पति उमेश प्रसाद, शिवमुनी कहांर पति अर्जुन कहांर, राजमुनी देवी पति मुन्ना साह, मुनी कहांर पिता अर्जुन, अभय कुमार चौधरी पिता स्व० शिव प्रसाद, रामचन्द्र साह पिता स्व० टेंगर साह, बैजनाथ सिंह पिता स्व० अर्जुन सिंह, बानारसी चौधरी पिता स्व० रामदयाल चौधरी।
5	शिवसागर	समहुती	53	47	निजी	अंश आवासीय और अंश कृषि	0.2110	मिथलेश कुमार सिंह वो राजीव कुमार सिंह वो ओमप्रकाश सिंह वो दिगम्बर कुमार सिंह वो कमलेश कुमार सिंह पिता स्व० बिन्देश्वरी प्रसाद सिंह।
6	शिवसागर	कुम्हळ	96	319	निजी	कृषि	0.0180	कृष्णाकान्त तिवारी, कमलकान्त तिवारी पिता नर्वदेश्वर तिवारी।

क्र. सं.	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं.	खसरा सं.	भूमि का प्रकार	वर्तमान भूमि की प्रकृति	अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (हे. में)	भू-स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	शिवसागर	कुम्हऊ	96	360	निजी	कृषि	0.0068	मुकेश कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह, विकास सिंह पिता स्व० जितेन्द्र कुमार सिंह।
8	शिवसागर	कुम्हऊ	96	317	निजी	कृषि	0.0038	कामेश्वर पाण्डेय पिता स्व० हरिद्वार पाण्डेय, विष्णुशंकर पाण्डेय पिता स्व० धरीक्षण पाण्डेय।
9	शिवसागर	बरैला	43	197	निजी	मकान	0.0121	ओम प्रकाश सिंह पिता स्व० फेकन सिंह, धन कुमार पिता बुटन खरवार, धर्मन्द्र कुमार पिता भिमल खरवार।
10	शिवसागर	बरैला	43	64	निजी	कृषि	0.0092	ललन लाल नन्दजी प्रसाद पिता स्व० राजेन्द्र लाल नन्दगोपाल श्रीवास्तव पिता स्व० मुसाफीर लाल।
11	शिवसागर	किरहिण्डी	55	1285	निजी	कृषि	0.0081	विजय कुमार सिंह पिता स्व० फतेह नारायण सिंह, ज्योति प्रकाश सिंह पिता स्व० कृष्णा प्रताप सिंह, ओम प्रकाश वगैरह पिता स्व० विन्ध्याचल सिंह।

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2227]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टै.वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th October, 2021

S.O. 4239(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 674 (E), dated the 12th February, 2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th February, 2021 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Rohtas in the State of Bihar;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely, “Dainik Jagran” and “Hindustan” dated the 19th February, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered by the Competent Authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Rohtas in the State of Bihar.

DISTRICT: ROHTAS

S. No.	Name of Circle	Name of village	Thana No.	Plot No.	Type of Land	Nature of Land	Area in Ha.	Name of Land owner/Interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaram	Karwandia	220	279	Private	Part Residential & Part Agriculture	0.0720	Bhola Kumar S/O- Lt. Inar Shah, Viswakarma Shah, Shankar Shah S/O Lakshman Shah.
2	Dehri	Tenduwadusadhi	152	671	Private	Part Residential & Part Agriculture	0.0111	Anil Kumar Singh and Shivsankar Singh and Ranjit Singh S/O- Gupteshwar Singh.
3	Shivsagar	Rasendua	14	372	Private	Part Residential & Part Agriculture	0.0203	Parash Nath and Shambhu Nath Chaurasiya and Santosh Chaurasiya and Shivshankar Chaurasiya S/O-Lt. Baleshwar Chaurasiya, Rambachan Chaurasiya, and Kapilmuni Chaurasiya and Devmuni Chaurasiya S/O-Lt Mangru Chaurasiya, Suresh Prasad Chaurasiya S/O- Lt Ram Kishun Chaurasiya, Soni Devi W/O- Lt Umesh Prasad Chaurasiya, Sonu Kumar S/O Lt Umesh Prasad Chaurasiya Nijgram.
4	Shivsagar	Nimiya	25	31	Private	Agriculture	0.0365	Sharda Devi W/O Ram Sanehi, Shila Devi W/O Umesh Prasad, Shivmuni Kahar S/O Arjun Kahar, Rajmuni Devi W/O Munna Shah, Muni Kahar S/O Arjun, Abhay Kumar Chaudhary S/O Lt Shivprasad, Ramchandra Shah S/O Lt. Tangar Shah, Baijnath Singh S/O Lt Arjun Singh, Banarsi Chaudhary S/O Lt. Ramdayal Chaudhary.
5	Shivsagar	Samhuti	53	47	Private	Part Residential & Part Agriculture	0.2110	Mithlesh Kuamr Singh and Rajeev Kumar Singh and Omprakash Singh and Digamber Kumar Singh and Kamalesh Kumar Singh S/O Lt

S. No.	Name of Circle	Name of village	Thana No.	Plot No.	Type of Land	Nature of Land	Area in Ha.	Name of Land owner/Interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Bindeshawari Prasad Singh.
6	Shivsagar	Kumhau	96	319	Private	Agriculture	0.0180	Krishnakant Tiwari, Kamalkant Tiwari S/O- Narbeshwar Tiwari.
7	Shivsagar	Kumhau	96	360	Private	Agriculture	0.0068	Mukesh Kumar Singh, Rakesh Kumar Singh, Vikash Singh S/O- Jitendra Kumar Singh.
8	Shivsagar	Kumhau	96	317	Private	Agriculture	0.0038	Kameshwar Pandey S/O Lt Haridwar Pandey, Vishnushankar Pandey S/O Lt Dharikshan Pandey.
9	Shivsagar	Baraila	43	197	Private	House	0.0121	Omprakash Singh S/O Lt Fekan Singh, Dhanu Kumar S/O- Lt Butan Kharwar, Dharmendra Kumar S/O-Bhimal Kharwar.
10	Shivsagar	Baraila	43	64	Private	Agriculture	0.0092	Lalan Lal, Nandji Prasad S/O Rajendra Lal, Nandgopal Shrivastav S/O- Lt Musafir Lal.
11	Shivsagar	Kirhindi	55	1285	Private	Agriculture	0.0081	Vijay Kumar Singh S/O Lt.Phateh Narayan Singh, Jyoti Prakash Singh S/O Lt Krishna Pratap Singh, Omprakash Singh and Others. S/O Lt. Vindhyachal Singh.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2227]

A.K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)